

अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस महापर्व – 2026

कार्य योजना एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली सुरक्षा नियमावली (SOP)

1. ट्रैक्टर एवं ट्रॉली का तकनीकी व सुरक्षा मानक (Vehicle Standards)

- मजबूत रेलिंग (Safety Railing): प्रत्येक ट्रॉली के चारों तरफ कम से कम 3 से 4 फीट ऊंची लोहे या लकड़ी की मजबूत रेलिंग/बाउंड्री होनी अनिवार्य है, ताकि मोड़ों पर किसी भी छात्र के असंतुलित होने का खतरा न रहे।
- बैठने की सुदृढ़ व्यवस्था: ट्रॉली के भीतर छात्रों के खड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी छात्रों के बैठने के लिए ट्रॉली के अंदर गद्देदार बेंच या कुर्सियों को कसकर (Fix करके) लगाया जाएगा।
- फर्स्ट-एड किट और अग्निशामक: प्रत्येक ट्रैक्टर-ट्रॉली में एक प्राथमिक चिकित्सा किट (First Aid Kit) और एक छोटा अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) अनिवार्य रूप से रखा जाएगा।
- दस्तावेज़ और फिटनेस: यात्रा में केवल वही ट्रैक्टर शामिल होंगे जिनका व्यावसायिक/प्रशासनिक उपयोग वैध हो और उनके पास वैध बीमा (Insurance) व फिटनेस सर्टिफिकेट हो। चालकों के पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।

2. गति सीमा और मार्चिंग व्यवस्था (Speed Limit & Convoy Fleet)

- कठोर गति सीमा (Strict Speed Limit): पूरे यात्रा मार्ग (3.2 किमी) पर झांकी काफ़िले की अधिकतम गति 5 से 8 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी [C1]। सभी ट्रैक्टर एक निश्चित गियर और समान गति में चलेंगे।
- सुरक्षित दूरी (Safe Distance): दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के बीच हमेशा 10 से 15 मीटर की नियत दूरी बनाए रखी जाएगी, ताकि अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में कोई दुर्घटना न हो।
- अग्रणी और अंतिम वाहन: काफ़िले के सबसे आगे सुभारती डिफेंस एकेडमी का पायलट वाहन और सबसे पीछे (Tail-end) डॉक्टरों व जीवन रक्षक प्रणाली से युक्त सुभारती हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चलेगी।

3. मानव संसाधन एवं 'ट्रॉली कमांडर' प्रणाली (Supervision & Guarding)

- प्रत्येक ट्रॉली पर नोडल शिक्षक: हर स्कूल/कॉलेज की ट्रॉली में कम से कम 2 जिम्मेदार शिक्षक (महिला एवं पुरुष) अनिवार्य रूप से छात्रों के साथ अंदर बैठेंगे, जो बच्चों के अनुशासन की निगरानी करेंगे।
- 'ट्रॉली कमांडर' (Trolley Commanders): सुभारती डिफेंस एकेडमी या एनसीसी (NCC) के वरिष्ठ कैडेट्स प्रत्येक ट्रॉली के पिछले हिस्से (जहाँ से चढ़ते-उतरते हैं) पर 'गेट कीपर/कमांडर्स' के रूप में तैनात रहेंगे। यात्रा गतिमान होने के दौरान किसी भी छात्र को ट्रॉली से झांकने, हाथ बाहर निकालने या उतरने की अनुमति नहीं होगी।
- रूट मार्शल (Ground Crew): प्रत्येक ट्रैक्टर के दोनों ओर (बाएँ और दाएँ) सुभारती के स्वयंसेवक पैदल चलेंगे, जो सड़क पर चलने वाली आम जनता या अन्य वाहनों को ट्रॉलियों के नजदीक आने से रोकेंगे।

4. यातायात समन्वय एवं आपातकालीन योजना (Traffic & Contingency Plan)

- एसपी ट्रैफिक (SP Traffic) से समन्वय: प्रत्येक चौराहे (जैसे जेल चुंगी, साकेत) पर यातायात पुलिस के सहयोग से केवल 'रोलिंग ब्लॉक' (5-7 मिनट का होल्ड) लिया जाएगा। झांकियों का काफ़िला गुजरते ही ट्रैफिक तुरंत बहाल कर दिया जाएगा, ताकि आम जनमानस को असुविधा न हो।
- आपातकालीन निकास (Emergency Evacuation): यदि मार्ग में कोई ट्रैक्टर या ट्रॉली तकनीकी रूप से खराब होती है, तो उसे तुरंत सड़क के बाईं ओर रोका जाएगा और पीछे चल रही 'स्पेयर/अतिरिक्त ट्रॉली' में बच्चों को सुरक्षित स्थानांतरित (Shift) कर दिया जाएगा।

5. झांकी प्रोटोकॉल एवं तिरंगे का सम्मान (Tableaux Decorum)

- सजीव झांकियों की सुरक्षा: जो छात्र नेताजी या आईएनए (INA) के सैनिकों के रूप में सजीव अभिनय (Live Act) कर रहे हैं, उनके खड़े होने के स्थान पर पकड़ने के लिए मजबूत सपोर्ट/हैंडल लगे होने चाहिए।
- कचरा प्रबंधन: ट्रॉलियों से सड़क पर पानी की बोतलें, खाने के पैकेट या कागज़ फेंकना सख्त मना है। प्रत्येक ट्रॉली में एक डस्टबिन रखा जाएगा।